[2024] 6 एस.सी.आर. 959 : 2024 आईएनएससी 460

अनिश एम रावथर @ अनीस मोहम्मद रावथर

बनाम

हाफ़िज़ उर रहमान और अन्य

(सिविल अपील संख्या 4120 वर्ष 2024)

14 जून 2024

[विक्रम नाथ और प्रशांत कुमार मिश्रा,* न्यायमूर्ति]

विचारणीय मुद्दा

क्या उच्च न्यायालय प्रतिवादी के ज्ञापन को स्वीकार करने और उचित आदेश पारित करने के लिए निचली अदालत को निर्देश देने में न्यायसंगत है?

शीर्ष टिप्पणियाँ

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 - अध्यादेश XXXVII - संक्षिप्त मुकदमे - प्रतिवादियों द्वारा अपीलकर्ताओं के विरुद्ध धन वसूली हेतु दायर मुकदमा - प्रतिवादी ने अध्यादेश XXXVII के अनुसार मुकदमे का फैसला करने के लिए निचली अदालत से अनुरोध करते हुए ज्ञापन दायर किया। 3(6)(ख) - निचली अदालत ने ज्ञापन को अस्वीकार कर दिया - हालांकि, उच्च न्यायालय ने निचली अदालत को प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन को स्वीकार करने और उचित आदेश पारित करने का निर्देश देते हुए आदेश को रद्द कर दिया - औचित्य:

अभिनिर्धरित: उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं के इस निवेदन को स्वीकार नहीं किया कि दिवालियापन और दिवालिया संहिता, 2016 की धारा 14 के मद्देनजर, स्थगन लागू हो गया था, अतः मुकदमा आगे नहीं बढ़ सकता, और निचली अदालत को ज्ञापन स्वीकार करने और उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया - इस न्यायालय ने विवादित आदेश पर रोक लगा दी, हालांकि, इस न्यायालय के अंतरिम आदेश से बहुत पहले, मुकदमे का अंतिम निर्णय डिक्री पारित करके कर दिया गया था - यह ध्यान में नहीं लाया गया है कि उक्त डिक्री को अपीलकर्ताओं द्वारा आगे चुनौती दी गई है - इस प्रकार, वर्तमान में, मुकदमा लंबित नहीं है, अतः मुकदमे के लंबित रहने के दौरान निचली अदालत द्वारा पारित अंतरिम आदेश से उत्पन्न अपील निष्प्रभावी हो जाती है। [पैरा 5]

अधिनियमों की सूची

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908; दिवालियापन और दिवालिया संहिता, 2016।

* लेखक

960 [2024] 6 एस.सी.आर.

डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट

प्रमुख शब्दों की सूची

ज्ञापन; संक्षिप्त मुकदमे; धन वसूली; मुकदमे का फैसला; स्थगन; निष्फल।

मामले की उत्पत्ति

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 4120 वर्ष 2024

कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलुरु के दिनांक 21.03.2022 के निर्णय और आदेश से, डब्लूपीपी संख्या 10975 वर्ष 2020

अधिवक्तागण

यू.के. उनियाल, वरिष्ठ अधिवक्ता, दिनेश कुमार गर्ग, अभिषेक गर्ग, धनंजय गर्ग, ईशान तिवारी, आर.पी. बंसल, सुरेशा एन., सुश्री इशिता बिष्ट, अधिवक्ता। अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता।

पाई अमित, सुश्री पंखुड़ी भारद्वाज, निखिल पाहवा, अभियुदय वत्स, कुशल दुबे, तथागत दत्ता, सुश्री वंशिका दुबे, प्रतिवादियों की ओर से अधिवक्ता।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

प्रशांत कुमार मिश्रा, न्यायधीश

1. यह अपील अपीलकर्ता/प्रतिवादी द्वारा कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा 21 मार्च 2022 को रिट याचिका संख्या 10975/2020 (जीएम-सीपीसी) में पारित आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई है, जिसमें उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को स्वीकार करते हुए निचली अदालत द्वारा कॉम ओएस संख्या 1026/2018 में 7 मार्च 2020 को पारित आदेश को रद्द कर दिया

और निचली अदालत को निर्देश दिया कि वह प्रतिवादियों/वादियों द्वारा प्रस्तुत 14 नवंबर 2019 के ज्ञापन को स्वीकार करे और तदनुसार उचित आदेश पारित करे।

2. इस दीवानी अपील के निपटारे के लिए आवश्यक संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि प्रतिवादियों/वादियों ने दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 (संक्षेप में 'सीपीसी') के आदेश XXXVII के तहत अपीलकर्ताओं/प्रतिवादियों के विरुद्ध 1,04,16,576/- रुपये ब्याज सहित वसूली हेतु मुकदमा दायर किया। अपीलकर्ताओं/प्रतिवादियों ने अदालत में पेशी दर्ज कराई और बचाव का अधिकार प्राप्त करने हेतु आवेदन दाखिल किया, जिसे निचली अदालत ने 19 जून 2019 को स्वीकार कर लिया और अपीलकर्ताओं/प्रतिवादियों को मुकदमे की राशि का 50% जमा करने का निर्देश दिया। उक्त आदेश को चुनौती दी गई।

उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या 28349/2019 को 8 अगस्त 2019 को खारिज कर दिया गया था, जिसके विरुद्ध अपीलकर्ताओं/प्रतिवादियों द्वारा विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 20626/2019 दायर की गई थी, जिसे 6 सितंबर 2019 को निम्नलिखित आदेश पारित करके खारिज कर दिया गया:

> *"हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं।*

विशेष अनुमति याचिका तदनुसार खारिज की जाती है।

हालाँकि, याचिकाकर्ताओं के लिए यह खुला है कि वे आज से चार सप्ताह के भीतर उच्च न्यायालय के समक्ष आदेश में संशोधन के लिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते वे उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार पर्याप्त सुरक्षा प्रदान कर सकें।"

3. इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त आदेश पारित किए जाने के बावजूद, अपीलकर्ताओं/प्रतिवादियों ने इस न्यायालय द्वारा दी गई अनुमति के अनुसार आदेश में संशोधन के लिए उच्च न्यायालय से संपर्क नहीं किया।

4. जब मामला इस प्रकार था, तो प्रतिवादी/वादी ने 14 नवंबर 2019 को ज्ञापन दाखिल कर निचली अदालत से सीपीसी के आदेश XXXVII नियम 3(6)(बी) के तहत मुकदमे का फैसला सुनाने का अनुरोध किया। निचली अदालत ने अपीलकर्ता/प्रतिवादी की आपत्तियों सहित रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर विचार करने के बाद 7 मार्च 2020 के आदेश द्वारा ज्ञापन को खारिज कर दिया। प्रतिवादी/वादी ने इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी, जिसे विवादित आदेश के तहत स्वीकार कर लिया गया है और साथ ही निचली अदालत को ज्ञापन स्वीकार करने और तदनुसार उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया है।

5. अपीलकर्ताओं/प्रतिवादियों ने तर्क दिया है कि दिवालियापन और दिवालिया संहिता, 2016 (जिसे आगे 'आईबीसी' कहा जाएगा) की धारा 14 के मद्देनजर, स्थगन लागू हो चुका है, इसलिए मुकदमा आगे नहीं बढ़ सकता। उच्च न्यायालय ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और विवादित आदेश के तहत, निचली अदालत को ज्ञापन स्वीकार करने और उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया था। यह ध्यान देने योग्य है कि इस न्यायालय ने 1 दिसंबर 2023 को विवादित आदेश पर रोक लगाने का आदेश पारित किया था, हालांकि, इस न्यायालय के अंतरिम आदेश से बहुत पहले, 20 अप्रैल 2023 को डिक्री पारित करके मुकदमे का अंतिम निर्णय कर दिया गया था। हमें यह जानकारी नहीं दी गई है कि उक्त डिक्री को प्रतिवादियों द्वारा आगे चुनौती दी गई है। अत: फिलहाल, मुकदमा लंबित नहीं है, इसलिए मुकदमे की लंबितता के दौरान निचली अदालत द्वारा पारित अंतरिम आदेश से उत्पन्न यह अपील निष्प्रभावी हो गई है।

6. तदनुसार, सिविल अपील निष्प्रभावी होने के कारण खारिज की जाती है।

शीर्षक तैयार किए गए: निधि जैन द्वारा

मामले का परिणाम:

अपील खारिज

यह अनुवाद (सुधीर), पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है।